

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :— प. 17(1)साप्र/2/15

जयपुर, दिनांक : 12/9/16

—: आदेश :—

निम्नांकित कर्मचारियों को उनकी चतुर्थ श्रेणी की वरियतानुसार उनके नाम के समुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानानुसार नियमानुसार किराये पर इस विभाग के आदेश संख्या प. 17(1)साप्र/2/2015 दिनांक 4.12.2015 के द्वारा आवंटित किए गए थे, जिनका निर्धारित अवधि में कब्जा नहीं लेने के कारण निम्नांकित कर्मचारियों को आवंटित किए गए राजकीय आवासों का आवंटन एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

क्र सं.	वरियता संख्या	नाम व पदनाम	आवंटित आवास संख्या	सेवानिवृत्ति दिनांक
1	149 / 2010	श्री कपिल कुमार सिंघल कनिष्ठ लिपिक निदेशालय कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर	4 / 115, गांधीनगर	30.6.2032
2	171 / 2010	श्रीमती शुभलता वरिष्ठ अध्यापिका राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खानिया, जयपुर	4 / 94, गांधीनगर	31.10.2023
3	174 / 2010	श्रीमती रश्मि गुप्ता प्रयोगशाला सहायक राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर	4 / 110, गांधीनगर	31.3.2047
4	33 / 2012	श्री अरविन्द कुमार छोलक वरिष्ठ लिपिक राजस्व (ग्रुप-2) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	4 / 177, गांधीनगर (पुराना नम्बर एफ-990, गांधीनगर)	31.12.2028

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राजकुमार शर्मा)  
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. संभागीय आयुक्त, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, कार्मिक (ख-1) विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
5. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर।
6. निदेशक, पुलिस विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राजस्थान, जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, कार्मिक (ग) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खानिया, जयपुर।
9. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
10. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. प्रोग्राम सहायक, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय— कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
12. अधिशासी अभियन्ता, साठनिवी-खण्ड-तृतीय, जयपुर/जन स्वाठा अभियान विभाग, गांधीनगर, जयपुर/जयपुर विभाग विभाग लिंग, गांधीनगर, जयपुर।
13. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गांधीनगर, जयपुर—कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लैकबोर्ड पर चर्चा करावें।
14. सम्बन्धित कर्मचारीगण।
15. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, साप्रवि।
16. रक्षित पत्रावली।

सहायक शासन सचिव